

संपादकीय

हड़ताल से पैदा हुई समस्या का कौन करेगा समाधान!

कोलकाता में एक प्रशिद्ध चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने सभी संवेदनशील लोगों के भीतर दुख और आक्रोश भर दिया है। यह बेवजह नहीं है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए एक कारगर व्यवस्था बनाने के लिए आवाज उठाई है। इसी के तहत कई राज्यों में सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी, जिससे वहां कामकाज बाधित हुआ। चिकित्सकों के दुख और गुस्से से किसी को भी असहमति नहीं हो सकती और इस मुद्दे पर उनकी मांग वाजिब है।

कुछ दिनों से यह सवाल भी चिंता की वजह बन रहा था कि चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है, उसका समाधान क्या हो। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान चिकित्सकों की सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की और कहा कि चिकित्सकों के काम से दूर रहने से समाज के उन वर्गों पर असर पड़ता है, जिन्हें चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है। शीघ्र अदालत ने यह भी कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोकना नहीं जा सकता। हड़ताल की वजह से खासतौर पर गरीब तबकों से आने वाले मरीजों को हो रही दिक्कतों का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।



इलाज के क्रम में अस्पतालों में दो-दो वर्ष पहले चिकित्सक से इलाज या आपरेशन करने का मौका मिल पाता है। ऐसे में अगर सिर्फ हड़ताल की

वजह से उन्हें यह कहा जाए कि आपका इलाज नहीं हो सकता, तो इसे कैसे देखा जाएगा। दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की वजह से अगर कोई मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों या क्लीनिकों में इलाज के लिए पहुंचता है तो वहां उसे आर्थिक खर्च की किस कसौटी को पूरा करना पड़ता है, यह छिपा नहीं है।

निरिचत रूप से एक बेहद तकलीफदेह घटना पर चिकित्सकों का आंदोलित होना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इस आंदोलन को समाज के सभी संवेदनशील लोगों का समर्थन मिला है। मगर इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों के कामकाज में जिस स्तर की मुश्किल पैदा हुई है, वह भी चिंताजनक है। यों सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली में एम्स और राममनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल खत्म करने और इयूटी पर जाने की घोषणा कर दी, मगर कुछ राज्यों में अभी भी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में दोहरा रवैया

महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध का कोई मामला जब तूल पकड़ते हैं, तब उसे लेकर सवाल उठाने वालों, विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने और उसमें हिस्सा लेने वालों में बहुत सारे नेता और खासतौर पर जनप्रतिनिधि भी मुखर रूप से शामिल होते हैं। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो जनप्रतिनिधि इस सवाल पर आक्रोशित जनता के साथ खड़े दिखते हैं, वे खुद अपने सहयोगियों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आरोपों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होते। यह छिपा तथ्य नहीं है कि हर चुनाव में ऐसे लोग भी बतौर उम्मीदवार किसी सीट पर अपना दावा पेश करते हैं और उनमें से कई जीत कर जनप्रतिनिधि भी बन जाते हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि पर महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध करने या उसमें शामिल होने का आरोप है, तो उससे महिलाओं के हक में ईमानदार लड़ाई की कितनी उम्मीद की जा सकती है! जनता के नुमाइंदा कहे जाने वाले जो लोग खुद गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपी होते हैं, वे कानून बनाने या बचाने के दायित्व के प्रति कितने गंभीर हो सकते हैं? यह बेवजह नहीं है कि चुनावी नैतिकता और शुचिता की मांग के बावजूद आज भी अच्छी-खासी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ये मामले जगजाहिर रहे हैं, मगर इसे एक बार फिर एम्प्लिफेशन फार डेमोक्रेटिक रिचर्स ने जारी किया है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना कर रहे एक सौ इक्यावन सांसदों-विधायकों को चिह्नित किया गया। इनमें सोलहर पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का आरोप है। सभी आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बदला या साजिश बता कर खारिज नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि ऐसे मामलों में जांच, सुनवाई और फैसला लंबे समय तक टलता रहता है। चुनाव आयोग भी ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने और जीत कर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने को लेकर कोई स्पष्ट रुख तय नहीं कर पाता। ऐसे दायी नुमाइंदों को लेकर नरम रवैया क्या एक बड़ी वजह नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के खिलाफ कोई ठोस और नतीजा देने वाली व्यवस्था खड़ी नहीं हो पा रही?



मप्र सरकार के दो निर्णयों की यूनिसेफ ने भी की सराहना

पिछले दिनों में मप्र की मोहन यादव सरकार ने दो निर्णय लिए हैं और दोनों ही से वे अपार लोकप्रियता प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रदेश की किशोरी छात्राओं हेतु लिए गए एक निर्णय की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा व प्रशंसा हो रही है। एक निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय एक योजना जहां प्रदेश के किसानों हेतु शुभसमाचार है वहीं दूसरी योजना प्रदेश की स्कूलों बालिकाओं के लिए प्रसन्न कर देने वाली है। बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पेड देने वाली इस योजना की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ, के संगठन यूनिसेफ ने भी मुक्त कंठ से की है। देश के कुछ प्रदेशों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिये जाते रहे हैं किंतु इस संदर्भ में बालिकाओं को नगद राशि देने वाला प्रथम राज्य मप्र बन गया है। इस प्रकार नगद राशि से बालिकाएं अपनी पसंद व आवश्यकतानुसार सामग्री स्वयं क्रय सकेंगी। मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सैनिटेशन एवं हाईजीन योजना को यूनिसेफ ने एक उत्कृष्ट योजना बताया है। यूनिसेफ ने एक्स (ट्विटर) पर अपने एकाउंट में लिखा कि यह एक अनूठा नवाचार है और प्रशंसा करते हुए इस योजना को शुभकामनाएं दे रहे हैं। डॉ. मोहन यादव ने भी अपने एक्स अकाउंट पर यूनिसेफ को इस योजना की प्रशंसा करने हेतु धन्यवाद देते हुए कहा है- मध्य प्रदेश के किशोरों और बच्चों के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता देने के लिए यूनिसेफ इंडिया को हार्दिक धन्यवाद।

यूनिसेफ पूर्व से ही (यूनिसेफ) की भारतीय इकाई भारत सरकार के साथ मिलकर स्कूल हाईजीन और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में अभियान चलाये हुए है। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्राओं के सम्मान व उनसे संवाद के अंतर्गत प्रदेश शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश की उनीस लाख छात्राओं के खाते में सत्तावन करोड़ अड़ारह लाख रूप. की राशि सैनिटरी नैपकिन हेतु ट्रांसफर कर दी थी। यह राशि कक्षा सातवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को दी जाएगी जिससे वे स्वयं नैपकिन क्रय कर सकेंगी। इस योजना से उन्हें एक वर्ष हेतु तीन सौ रु. मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों व महाविद्यालयों की छात्राओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता की महत्व और महत्व को भी बताया जाना है। प्रदेश में पूर्व से ही महिला एवं बाल विकास की एक उदित योजना भी कार्यरत है जिसमें अड़ारह से उन पचास आयु वर्ग की महिलाओं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा लाभ दिया जाता है।



यूनिसेफ पूर्व से ही (यूनिसेफ) की भारतीय इकाई भारत सरकार के साथ मिलकर स्कूल हाईजीन और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में अभियान चलाये हुए है। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्राओं के सम्मान व उनसे संवाद के एक कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश की उनीस लाख छात्राओं के खाते में सत्तावन करोड़ अड़ारह लाख रूप. की राशि सैनिटरी नैपकिन हेतु ट्रांसफर कर दी थी। यह राशि कक्षा सातवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को दी जाएगी जिससे वे स्वयं नैपकिन क्रय कर सकेंगी। इस योजना से उन्हें एक वर्ष हेतु तीन सौ रु. मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों व महाविद्यालयों की छात्राओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता की महत्व और महत्व को भी बताया जाना है। प्रदेश में पूर्व से ही महिला एवं बाल विकास की एक उदित योजना भी कार्यरत है जिसमें अड़ारह से उन पचास आयु वर्ग की महिलाओं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा लाभ दिया जाता है।

आज का कार्टून



उच्चतम सुरक्षा मानकों को कायम रखने एम.पी. ट्रांसको प्रतिबद्ध : प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी मंटेनेंस कार्मिकों के लिये हिन्दी में तैयार की गई नई सुरक्षा नियमावली



इंदौर। एम.पी. ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने अपने जीरो एक्सीडेंट और सुरक्षा सर्वोपरि लक्ष्य को कायम रखने की दिशा में एक और उल्लेखनीय कदम आगे बढ़ते हुये हिन्दी में सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) विकसित किया है। गत दिवस जबलपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी, मुख्य अतिथि निवर्तमान मुख्य अभियंता के.के. मूर्ति, ने इस सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) का विमोचन किया। आई.ई. रूस्त - 1956, इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टी एक्ट-2003, सी.ई.ए. रेगुलेशन्स - 2010 एवं मिडकोड के अंतर्गत सुरक्षा संबंधित गाइडलाइनों के अनुसार विकसित की गई यह सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) एम.पी. ट्रांसको के 41,000 सर्किट कि.मी. से अधिक की ट्रांसमिशन लाईनों एवं 416 एक्सट्रा हाईटेशन सबस्टेशनों में मंटेनेन्स करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। इस सुरक्षा नियमावली के विमोचन पर अपने संदेश में एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने उम्मीद जाहिर की, कि कंपनी के जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य को कायम रखने यह सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) बहुत उपयोगी साबित होगा। इस नियमावली को बनाने के लिये किया गया प्रयास सराहनीय है और यह उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाये रखने के लिये एम.पी. ट्रांसको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंटेनेन्स से जुड़ा हर कार्मिक अत्यंत समर्पण के साथ नियमावली के दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता के प्रवीण गांगव के मार्गदर्शन में अभियंतागण अतुल नावर, दीपक कुमार, चंद्रकांत श्रीवास्तव एवं जितेन्द्र तिवारी की टीम ने इस सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) को तैयार किया है। यह सुरक्षा नियमावली (सेफ्टी मैनुअल) डिजिटल, प्रिंट दोनों वर्जन में तैयार किया गया है।

आपकी शिकायत/समस्याओं में आपका साथी

दैनिक सद्भावना पाती

शिकायत / पत्र संपादक के नाम आप किसी समस्या, शिकायत, मुद्दे, जानकारी, गड़बड़ी, शष्टाचार, नियम विरुद्ध काम आदि की शिकायत संपादक के नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।

सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में सीएम हेल्पलाइन 181 एप डाउनलोड करें और उस पर शिकायत उपरांत हमें उसका स्क्रीन शॉट और फोटो भेजें।

हम उस शिकायत को दैनिक सद्भावना पाती में प्रकाशित करेंगे और आपकी समस्या/शिकायत को शीघ्र स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे।

केवल व्हाट्सएप करें, कॉल न करें।

9685611304

ईमेल आईडी- reporter.spnews@gmail.com

नोट :- जनहित की समस्याओं पर उचित ईनाम भी दिया जाएगा।

